



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 501]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2014/फाल्गुन 9, 1935

No. 501]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014/PHALGUNA 9, 1935

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2014

**का.आ. 583(अ).**—जबकि मैसर्स एल्युमिनियम कंपनी लि. (बाल्को), आवेदक, जिसका पंजीकृत कार्यालय एल्युमिनियम सदन, कोर-6, स्कोप ऑफिस कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में है, ने बाल्को कोरबा में 1200 मेगावाट विद्युत संयंत्र से धरमजयगढ़/कोरबा में पीजीसीआईएल 765/400 केवी पूलिंग स्टेशन 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन के निर्माण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकार हेतु आवेदन किया है।

और यह कि, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 11-02-2013 के पत्र सं. 11/2/2010-पीजी (बाल्को) के माध्यम से कार्य के निम्नलिखित क्षेत्र के साथ समर्पित पारेषण लाइन के निर्माण के लिए मैसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लि. को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

### समर्पित पारेषण प्रणाली

समर्पित पारेषण प्रणाली के रूप में पीजीसीआईएल 400 केवी डी/सी (जोड़ा मूज) लाइन के बाल्को से धरमजयगढ़/कोरबा पूलिंग स्टेशन तक।

और यह कि आवेदक ने अब विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है जो कार्यों के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा रख-रखाव किए गए टेलीग्राफ या इस प्रकार स्थापित या रख-रखाव किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्यों के लिए टेलीग्राफ लाइनों और खम्बे लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। स्कीम के अंतर्गत शामिल पारेषण लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच में से गुजरेंगी :—

क्रम सं.	गाँवों का नाम	तहसील	जिला	राज्य
1.	बाल्को	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
2.	जामबहार	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
3.	रूमगरा	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़

4.	बेलगिरी बस्ती	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
5.	कोहड़िया	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
6.	रिस्ता	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
7.	लालघाट	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
8.	भदरापारा	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
9.	रिस्दी	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
10.	झगरहा	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
11.	भुस्लीडीह	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
12.	नकतीखार	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
13.	पंडरीपानी	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
14.	बेंदरकोना	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
15.	कुरुडीह	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
16.	करमंदी	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
17.	कुकरीचोली	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़

इसलिए अब सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत आवेदक को वे सभी शक्तियां प्रदान करता है जो विद्युत के अन्तरराज्यीय पारेषण हेतु उपरोक्त उल्लिखित अन्तरराज्यीय पारेषण लाइनें बिछाने के लिए निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित टेलीग्राफ या इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्यों हेतु टेलीग्राफ लाइनें बिछाने और खम्भे लगाने के संबंध में भारतीय दूरसंचार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत दूरसंचार प्राधिकरण के पास होती हैं, अर्थात् :-

(i) अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है ।

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों के निर्माण से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी ।

(iii) आवेदक को पारेषण, प्रचालन एवं अनुरक्षण, खुली पहुँचे आदि के संबंध में उपयुक्त आयोग के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा ।

(iv) आवेदक को बाल्को कोरबा में 1200 मेगावाट विद्युत संयंत्र से धरमजयगढ़/कोरबा में पीजीसीआईएल 765/400 केवी पूलिंग स्टेशन तक 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन के निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है । कार्यों का ब्यौरा 3 अगस्त, 09 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है ।

(v) आवेदक संबंधित राज्यों के मुख्य वैद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् लाइनों का प्रचालन करेगा ।

(vi) यह अनुमोदन विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का आवेदक द्वारा अनुपालना किए जाने के अधीन है ।

[फा.सं. 11/5/2014-पीजी]

रीता आचार्य, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF POWER

### ORDER

New Delhi, the 17th February, 2014

**S.O. 583(E).**—Whereas M/s Bharat Aluminium Company Limited (BALCO), the applicant with its Registered Office at Aluminium Sadan, Core-6, Scope Office Complex, Lodi Road, New Delhi - 110003 has applied for approval under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for construction of 400 kV D / C transmission line from 1200 MW power plant at BALCO Korba to PGCIL 765/400 kV pooling station at Dharainajaygarh / Korba.

And whereas Government of India, Ministry of Power vide letter No. 11-2-2010-PG (Balco) dated 11.02.2013 had granted prior approval under sub-section (1) of Section 68 of the Electricity Act, 2003 to M/s Bharat Aluminium Company Limited for construction of dedicated transmission line with the following scope of works.

**Dedicated Transmission System:**

BALCO to Dharamjaygarh Korba Pooling Station of PGCIL 400 kV D/C (Twin Moose) line as dedicated transmission system.

And whereas the applicant has now requested to confer upon him all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003 which telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained for the works. The transmission line covered under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities :-

Sl. No.	Name of the Villages	Tehsil	District	State
01	Balco	Korba	Korba	Chhattisgarh
02	Jambahar	Korba	Korba	Chhattisgarh
03	Rumgara	Korba	Korba	Chhattisgarh
04	Belgiri Basti	Korba	Korba	Chhattisgarh
05	Kohariya	Korba	Korba	Chhattisgarh
06	Risda	Korba	Korba	Chhattisgarh
07	Lalghat	Korba	Korba	Chhattisgarh
08	Bhadrapara	Korba	Korba	Chhattisgarh
09	Risdi	Korba	Korba	Chhattisgarh
10	Jhagaraha	Korba	Korba	Chhattisgarh
11	Bhulsidih	Korba	Korba	Chhattisgarh
12	Naktikhar	Korba	Korba	Chhattisgarh
13	Pandripani	Korba	Korba	Chhattisgarh
14	Bendarkona	Korba	Korba	Chhattisgarh
15	Kurudih	Korba	Korba	Chhattisgarh
16	Karmandi	Korba	Korba	Chhattisgarh
17	Kukricholi	Korba	Korba	Chhattisgarh

Now, therefore, after careful consideration, Government of India, Ministry of Power, confers, under section 164 of the Electricity Act, 2003, all the powers on the applicant which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned interstate transmission lines for inter-state transmission of electricity, namely :—

- (i) the approval is granted for 25 years;
- (ii) the Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) the Applicant shall have to follow regulations / codes of the appropriate commission regarding transmission, O&M, open access etc;

- (iv) the Applicant has been entrusted with the responsibility of construction of 400 kV D / C transmission line from 1200 MW power plant at BALCO Korba to PGCIL 765/400 kV pooling station at Dharamajaygarh / Korba. The details of the works are published in the Gazette of India of August 3 - August 9, 2013.
- (v) the Applicant shall operate the lines after approval of Chief Electrical Inspector of respective States;
- (vi) the approval is subject to compliance by the Applicant of the requirement of the provisions of The Electricity Act, 2003 and the rules made thereunder.

[F.No. 11/5/2014-PG]

RITA ACHARYA, Jt. Secy.